भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 929
उत्तर देने की तारीख 08.02.2024

खादी इकाइयों को सहायता

929. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:
श्री राहुल रमेश शेवालेः
श्री चंद्र शेखर साहूः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) और खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने भारत में निर्मित लेबल वाले खादी उत्पाद आरंभ करने, खादी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने और खादी कारीगरों को सशक्त बनाने हेतु किसी समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में खादी इकाइयों को प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय और तकनीकी सहायता का 'विशेषकर ओडिशा में' राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे लाभान्वित हो सकने वाली खादी इकाइयों की 'विशेषकर महाराष्ट्र और ओडिशा में' राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) 2014 के बाद से अब तक देश में रोजगार सृजन में वृद्धि के साथ-साथ खादी उद्योगों की विकास दर का विशेषकर ओडिशा में राज्य-वार प्रतिशत कितना है;

(ङ) देश के कुल निर्यात में खादी उद्योगों का योगदान कितना है; और

(च) केंद्र सरकार द्वारा वैश्विक स्तर पर खादी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) से (ग): जी हां। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) और खादी ग्राम एवं उद्योग आयोग (केवीआईसी) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एमओयू की कार्य परिधि निम्नानुसार है:

i. मूल्य श्रृंखलाओं का नैदानिक अध्ययन और अंतराल आकलन:
   क. खादी (फार्म से उपभोक्ता तक)
   ख. खादी उद्योग उत्पाद (फार्म/इकाई से विक्रय स्थल तक)
ii. एक मानकीकृत मूल्य श्रृंखला रूपरेखा (प्रोटोकॉल) स्थापित करें
iii. निम्न के लिए तृतीय पक्ष आकलन रूपरेखा का विकास:
   क. खादी मार्क को मजबूत करने के लिए खादी उत्पाद
      - कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले विभागीय केंद्रीय रजत संयंत्रों के लिए आकलन रूपरेखा
      - खादी संस्थानों के लिए (केआई) आकलन रूपरेखा
      - कताईकर्ता और बुनकरों के लिए आकलन रूपरेखा
   ख. खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पाद
      - उत्पादन/विनिर्माण इकाइयों के लिए आकलन रूपरेखा
iv. कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एजेंसियों के संस्थागत और आउटलेट स्तर पर उत्पादों का आवधिक मूल्यांकन और परीक्षण।

v. कताईकर्ताओं और बुनकरों को सहायता प्रदान करने के लिए एक पथ-प्रदर्शन रूपरेखा का विकास

vi. "मेड इन इंडिया" लेबल फ्रेमवर्क का विकास

vii. ऑनलाइन प्रणालियों का विकास
- मूल्यांकन और निगरानी के लिए ऑनलाइन प्रणाली
- पथ-प्रदर्शन और निगरानी के लिए ऑनलाइन प्रणाली

viii. क्षमता निर्माण
- प्रशिक्षण सामग्री का विकास
- मास्टर प्रशिक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं, परामर्शदाताओं और केवीआईसी अधिकारियों का प्रशिक्षण
- गुणवत्ता और स्थिरता पर अपने ज्ञान और कौशल के संवर्धन हेतु खादी उत्पादों के उत्पादन में शामिल कारीगरों और केआई के लिए क्षमता निर्माण

ix. राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की मैपिंग
- परिभाषित आवश्यकताओं के परीक्षण के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं का चिन्हिकरण और मैपिंग

वित्तीय और तकनीकी सहायता का राज्य-वार ब्यौरा तय नहीं किया गया है क्योंकि उक्त समझौता ज्ञापन पर हाल ही में अर्थात दिनांक 03.01.2024 को हस्ताक्षर किए गए हैं।

(घ) वर्ष 2014 से वर्ष 2022-23 तक खादी उत्पादन, बिक्री और रोजगार का राज्य-वार तुलनात्मक ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ङ) विगत दो वर्षों के दौरान कुल खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) उत्पादों और खादी उत्पादों का निर्यात निम्नानुसार है:

(लाख रु. में)

वर्ष	**केवीआई उत्पादों का कुल निर्यात**	**खादी उत्पादों का निर्यात**
2021-22	25701.74	162.14
2022-23	26837.62	24.52

(च) वैश्विक स्तर पर खादी के संवर्धन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) खादी के लिए हब और स्पोक मॉडल पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें वैश्विक मानकों के लिए बेंचमार्क डिज़ाइन प्रक्रियाएं स्थापित करने, नए कपड़े और उत्पाद बनाने और कपड़ों के लिए गुणवत्ता मानकों का प्रसार करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (एनआईएफटी) नई दिल्ली के साथ-साथ एनआईएफटी अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और शिलांग को हब बनाया गया है।

(ii) केवीआईसी को दिसंबर, 2006 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा समकक्ष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ईपीसी) का दर्जा दिया गया है।

(iii) सरकार ने निर्यात में 11 केवीआई उत्पादों को वर्गीकृत करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को एचएस कोड ब्रैकेट जारी किया है।

(iv) एमएसएमई मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम के अंतर्गत केवीआईसी अपनी केवीआई इकाइयों को केवीआई उत्पादों की गुणवत्ता प्रदर्शित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों आदि में भाग लेने की सुविधा प्रदान करता है।

(v) केवीआईसी प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में भाग लेता है। केवीआईसी और एमएसएमई उत्पादों के परिधीय ब्रांड हर साल मंडप में प्रदर्शित किए जाते हैं।

(vi) केवीआईसी नियमित रूप से निर्यात संबंधी कार्यशालाएं भी आयोजित करता है और केवीआई संस्थानों/इकाइयों के लाभ हेतु फैशन शो में भाग लेता है।

*****

अनुबंध

दिनांक 08.02.2024 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 929 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष **2014** से वर्ष **2022-23** तक खादी उत्पादन, बिक्री और रोजगार का राज्य-वार तुलनात्मक ब्यौरा

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**खादी उत्पादन**		**खादी बिक्री**		**खादी रोजगार**	
		2014-15	**2022-23**	**2014-15**	**2022-23**	**2014-15 (लाख में)**	**2022-23(#) (अंकों में)**
1	जम्मू एवं कश्मीर*	2646.50	5787.70	2293.47	6764.11	0.24	21950
2	हिमाचल प्रदेश	530.71	742.29	1127.27	1066.80	0.08	3323
3	पंजाब	1368.87	685.37	1140.99	1783.90	0.44	5176
4	यू.टी. चंडीगढ़	1.69	10.76	238.11	545.19	0.00	54
5	हरियाणा	8514.59	22488.77	9895.22	34218.43	0.50	54655
6	दिल्ली	312.65	149.21	3049.95	5905.53	0.04	1101
7	राजस्थान	5118.24	13133.09	6928.80	20111.98	0.84	26754
8	उत्तराखंड	2016.07	3846.86	3857.21	6989.61	0.41	17856
9	उत्तर प्रदेश	22200.76	55500.18	34459.00	136571.34	4.10	128675
10	छत्तीसगढ	1873.68	4861.40	1397.95	5447.85	0.08	4883
11	मध्य प्रदेश	1092.95	1547.04	1567.95	1872.88	0.07	3143
12	सिक्किम	0.00	30.00	12.01	55.71	0.00	28
13	अरूणाचल प्रदेश	18.81	20.40	33.59	65.09	0.00	31
14	नागालैंड	84.00	51.51	113.46	83.01	0.00	295
15	मणिपुर	78.74	102.07	90.92	101.02	0.00	156
16	मिजोरम	2.65	3.01	8.64	6.14	0.00	12
17	त्रिपुरा	2.40	2.51	69.67	45.19	0.00	25
18	मेघालय	10.14	24.62	10.85	26.76	0.00	50
19	असम	1159.77	1499.98	1563.00	1710.88	0.19	5045
20	बिहार	1561.19	3785.24	2307.88	8970.75	1.10	66172
21	पश्चिम बंगाल	11674.49	37578.30	5840.66	75672.73	1.04	32588
22	झारखंड	957.80	2105.81	3418.82	4474.94	0.04	1842
23	ओडिशा	728.87	1574.40	552.28	1948.59	0.04	5203
24	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	0.00	0.00	0.00	22.04	0.00	0
25	गुजरात**	4201.85	14124.86	5968.20	26964.00	0.39	12699
26	महाराष्ट्र***	564.42	782.56	1716.82	2029.42	0.03	2863
27	गोवा	0.00	0.00	27.73	82.18	0.00	0
28	आंध्र प्रदेश	2512.15	5249.47	1235.49	6911.55	0.25	8544
28	तेलंगाना	569.93	1037.01	501.44	1086.06	0.08	2182
29	कर्नाटक	4967.51	39790.30	4525.04	95188.31	0.40	23922
30	केरल****	3789.02	7389.48	9694.46	18390.48	0.18	14295
31	तमिलनाडु	9433.41	26356.00	13311.21	45863.04	0.52	18192
32	पुदुचेरी	4.51	71.11	80.12	116.80	0.00	465
	कुल	87998.37	250331.31	117038.21	511092.31	11.06	462179
(#)डिजिटलीकरण के बाद, अधिकांश छद्म (घोस्ट) कारीगर बाहर कर दिए गए है।							

*लद्दाख सहित,** दमन और दीव, *** दादर एवं नगर हवेली, **** लक्षदीप